

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छोगो)

क्रमांक / लो.क.वि/न.पा.नि./2025

रायगढ़ दिनांक ५-८-१०१/२५

3375

॥ द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ॥

नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "अ" में पी.डब्लू.डी. के सङ्केत/भवन एस.ओ.आर. (प्रभावशील दिनांक 01.01.2015) कार्य हेतु प्रचलित दर अनुसूची पर वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com/uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक २३-०१-२५ को अपराह्न 04:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहरबंद निविदाएं त्रि-लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक २३-०१-२५ को अपराह्न 04:30 बजे उपरिस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

- निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 750.00 निर्धारित है। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक—पृथक देय है।
- कार्य पूर्ण करने की समयावधि 03 माह निर्धारित है।
- सभी कार्य एक साथ प्रारंभ किये जायें। अतः उपलब्ध संसाधन के आधार पर उतने ग्रुप में भाग लिया जावें।
- कार्य का लागत मूल्य राशि रूपये लाख में तथा अमानत राशि रूपये में है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)/अमानत राशि
1	पार्षद निधि से वार्ड क्र. 45 में नवीन एका घर से कोशल उरांव घर तक एवं जयनारायण घर से मेन रोड तक आरसीसी नाली व सीसी सङ्केत निर्माण कार्य।	04.00 / 4,000.00
2	पार्षद निधि वार्ड क्र. 43 बरमुडा समलाई मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच (चबुतरा) निर्माण कार्य।	06.39 / 5,000.00

नियम एवं शर्तेः-

- ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर प्रस्तुत करने की विवरणीय वर्ष 2021–22 से पुराना मान्य नहीं होगा, जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन की प्रति, दस्तावेज के साथ राशि रु. 100 के स्टॉम्प पेपर में मूल शपथ पत्र जिसमें कार्य अद्वृत नहीं छोड़ने तथा फर्म अथवा उसके सदस्यों के नाम की अन्य फर्म को किसी विभाग/संरक्षा द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया हो। निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना होगा। आवध्यता पद्धते पर शपथ पत्र के अतिरिक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना में (उक्त दिनांक में) जितने कार्यों का उल्लेख होगा। उसमें मूल शपथ पत्र सम्मिलित वाली निविदा में भाग लेना अनिवार्य होगा तथा कार्य के स्वसत्यापित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु यह सुविधा अन्य दिनांक में प्रकाशित निविदा सूचना के लिए प्रभावशील नहीं होगी।
- निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा संबंधी दस्तावेज व अमानत संबंधी लिफाफा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावें। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस दी जावेगी डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
- अमानत राशि के रूप में टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होगा।
- रायली विलयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा सी.सी. क्यूब तथा नगरीय प्रशासन कार्यालय से टेस्टींग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्तिम देयक देय होगा, अन्तिम देयक के लिए कम से कम 15% (पन्द्रह प्रतिशत) राशि रोकी जावेगी। टेस्टींग कार्य ठेकेदार को निगम द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से स्वयं के व्यय स्वीकृत करना होगा।
- निविदा स्वीकृत की वैधता 120 दिनों की होगी। दरें समस्त करों सहित मान्य होगी। पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। बाजार दर में वृद्धि होने के स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
- ठेकेदार को उनके निविदा में उल्लेखित प्रस्तुत दर कम/अधिक प्रतिष्ठत पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी। सभी देयकों में से अन्य आवधक कटौतियों के साथ 05% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेंस राशि अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी जो लोक निर्माण विभाग में 03 वर्ष अवधि तक रोकी जावेगी। आगामी वर्ष के अवधि में निर्देशित सुधार कार्य करने के बाद रोकी राशि देय होगी। जब तक ठेकेदार के द्वारा अन्तिम देयक का भुगतान प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परफॉर्मेंस अवधि प्रभावशील नहीं होगी। संषर्ट निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सितंबर माह सूचना देना होगा कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर सुधार हेतु अवगत कराया जावें।
- एस.ओ.आर. से दस प्रतिशत से कम निविदा दर प्रस्तुत करने की स्थिति में लागत मूल्य के आधार पर अन्तर की राशि का एफ.डी.आर. या अन्य माध्यम से पन्द्रह दिवस में निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी एवं भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
- कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा जिसके समर्थन में संपादित कराये गये कार्य में प्रयुक्त सामग्रीयों के खपत के अभिलेख दैनिक रूप से संधारित किया जाना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- कार्य का अन्य विवरण, देयक से काटी जाने वाली राशि एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
- निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर निविदा तिथि आगामी दिवस को मान्य होगी।
- लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को पूर्णतः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद चिपकाना अनिवार्य होगा।
- संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास का पत्र दिनांक 28.05.2020 के तहत कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्नातक/डिप्लोमा, इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा। जिन ठेकेदारों के पास निकाय में 20 लाख रु. मूल्य के कार्य आवृत्ति है उन्हें डिप्लोमा, इंजीनियर एवं इससे अधिक मूल्य के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु स्नातक अभियंता को नियुक्त करना होगा, जो चेक लिस्ट तैयार करे। ठेकेदार अपने इंजीनियर से देयक तैयार कराकर प्रस्तुत कर सकेगा जिसका परीक्षण/सत्यापन निगम के अभियंता द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं बंधन कारी होगा।
- निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अधिक मूल्य तक का एस.ओ.आर. में प्रावधानित कार्य स्वीकृत निविदा दर से कराया जा सकेगा।
- कार्य कार्यालय जारी होने के सात दिवस के अन्दर प्रारंभ कर उल्लेखित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। अतः वही ठेकेदार निविदा में भाग ले जिसके लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हो ऐसी सलाह दी जाती है।
- प्रस्तावित कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल प्रारंभ कर आवृत्ति समय सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा धीमी गति से संपादित करने पर आनुपातिक रूप से कार्य की प्रगति नहीं होने पर समयवृद्धि समाप्त होने के पूर्व भी कार्य को निरस्त कर दिया

- जावेगा। ऐसी स्थिति में शेष निविदा राशि के कार्य के लिए अपात्र होंगे। देयक से काटी गई सुरक्षा राशि एवं अन्य भुगतान नियमानुसार का होने के पश्चात् दण्डशुल्क एवं विलम्ब शुल्क की कटौती पश्चात् देय होगा।
21. आबंटित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा करायी गयी राशि को राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा एम.आई.सी. में ठेकेदार के 01 वर्ष हेतु अयोग्य घोषित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा जो मान्य होगा।
 22. निविदा दर स्वीकृत पश्चात् अनुबंध संपादन का आशय स्वतः कार्य करने की स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रारंभ करने की पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आऊट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जावें।
 23. समय-समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होगे।
 24. विज्ञापन में संलग्न एन.आई.टी. कार्य जाने वाले कार्यों का स्वरूप है। वास्तविक कार्य एस.ओ.आर. में उल्लेखित आईटम से जुड़े हो सकते हैं जिन्हें पुनरीक्षित पृथक तकनीकी स्वीकृति के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।
 25. शासन से आबंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। शासन से आबंटन कित्तों में प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवटन अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान होने पर कार्य को बंद नहीं किया जा सकेगा व कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
 26. नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देश/सुधार का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
 27. निविदा प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार को निम्न दस्तावेजों/सत्यप्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पात्र नहीं किया जावेगा।
- अ. वैध ठेकेदार पंजीयन की जीवित प्रमाण पत्र की प्रति।
ब. पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।
स. इनकम टैक्स प्रस्तुतीकरण की प्रति जो 2021–22 से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
28. दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबद्ध हैं, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति के भुगतान स्थगित करते हुये सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है।
 29. निविदा के किसी भी सुरक्षा भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
 30. ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेश न अथवा उप पट्टे पर नहीं होगा। कार्यों को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
 31. ठेकेदार को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डील की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
 32. छ.ग. वर्कस डिपार्टमेन्ट मेन्युअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। भुगतान में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान संज्ञान होने पर वापस लिया जा सकेगा, जिसके लिए निविदाकर्ता बाध्य है। राजस्व वसूली के समान भरपाई की जावेगी।

पृ. क्रमांक ३३७५/लो.क.वि/न.पा.नि./2025

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/समापति महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. नेता प्रतिपक्ष/प्रभारी सदरस्य, लो.क.वि. नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक, नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
5. प्रोग्राम डाटा सेंटर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचा. रायपुर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु सूचनार्थ संप्रेषित।

रायगढ़ दिनांक

५५/०१/२५

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)